



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275526
CG-DL-E-17082026-275526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4310]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4488(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 और 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16) का अधिकांश भाग [किमी 0.000 से किमी 3.400 तक] (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और कोव्वूर राजमुंदरी खंड (14.939 किमी)), संख्या 9 (किमी 266.400 से किमी 270.340 तक नया एनएच 65 [हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड, संख्या 18 (कडप्पा से चित्तूर तक नया एनएच संख्या 40), संख्या 43 (नया एनएच संख्या 26 उड़ीसा सीमा से नतावलसा तक), नया एनएच-67 (किमी 589.00 से किमी 741.950 को छोड़कर) (मायडुकुर-डोर्नला टी जंक्शन-आत्मकुर नेल्लोर खंड) और (वेंकटचलम से कृष्णापट्टनम पत्तन खंड)}, नया एनएच संख्या 42 (कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा से अनंतपुरमु तक), संख्या 205 (नया एनएच संख्या 42) अन्नंतपुर-मदनपल्ले, नया एनएच संख्या 71 [मदनपल्ले से पिलेरू कलूर खंड (74.00 किमी) को छोड़कर], संख्या 214 (पामारू से दिगामारू तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 165 और दिगामारू से काठीपुडी तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216), संख्या 214ए (दिगामारू से ओंगोल तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216), संख्या 219 (मदनपल्ली से तमिलनाडु सीमा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42), संख्या 221 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) { किमी 0.000 से किमी 71.200 तक को छोड़कर [(इब्राहिमपट्टनम - चंद्रकुंडम - आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा खंड)], संख्या 234 (कर्नाटक सीमा से तमिलनाडु सीमा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75), नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 (कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा से आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा तक), नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167ए, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167एडी, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167एजी, नया एनएच संख्या 167बी, नया एनएच संख्या 167के, नया एनएच संख्या 167बीजी, नया एनएच संख्या 326 (ओडिशा सीमा से चिंतुर तक), नया एनएच संख्या 326ए (ओडिशा सीमा से नरसन्नपेट तक (नए एनएच संख्या 16 पर)), नया एनएच संख्या 340 (रायचोटी (नया एनएच-40) से कुराबलकोटा (नया एनएच-42) तक), नया एनएच संख्या 340सी (0.000 किमी से 66.115 किमी तक (कुरनूल से आत्मकुर खंड) को छोड़कर), नया एनएच-340बी, नया एनएच संख्या 342, नया एनएच संख्या 365बीबी, नया एनएच 516बी, नया एनएच 516डी, नया एनएच 516ई, नया एनएच संख्या 544डी (अनंतपुर - मुचुकोटा - ताडीपत्री - बुग्गा खंड (74.45 किमी) को छोड़कर) 212.983 किमी से 322.800 किमी (गिद्दानूर-विनुकोंडा खंड)}, नया एनएच-440, नया एनएच संख्या 544डीडी, नया एनएच संख्या 544ई, नया एनएच संख्या 565 {किमी 86.057 से किमी 133.922 और किमी 154.900 से किमी 361.327 को छोड़कर (नागार्जुनसागर-डैम-दावुलापल्ली-मार्कपुरम-वग्गमपल्ले-डोर्नला टी जंक्शन खंड)} और किमी 425.400 से किमी 509.400 (पेनचलकोना-येरपेडु खंड) को छोड़कर}, नया एनएच 716 [कडपा से रेनिगुंटा खंड (121.935 किमी) को छोड़कर], नया एनएच संख्या 716ए, नया एनएच-716जी, नया एनएच संख्या 216ई और नया एनएच संख्या 216एच, के उतने जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार”
“34	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 [किमी. 9.4 से किमी. तक] 22.300 (हैदराबाद- बेंगलुरु खंड), संख्या 9 [नया एनएच 65, किमी. 40.000 से आंध्र प्रदेश सीमा तक और किमी. 423.800 से किमी. 493.000 तक (कर्नाटक सीमा - संगारेड्डी खंड) को छोड़कर], संख्या 16 (नया एनएच संख्या 63) [किमी. 28.00 से किमी. 168.00 तक (आर्मूर- मंचरियाल खंड)], नया एनएच संख्या 163 [किमी. 18.600 से किमी. 150.00 तक (हैदराबाद-यादगिरी- वारंगल खंड) और किमी. 14.00 से किमी. 59.50 तक (हैदराबाद-मन्नेगुडा खंड) को छोड़कर], नया एनएच संख्या 167के, संख्या 221 [(नया एनएच संख्या 30) [किमी.	तेलंगाना राज्य सरकार”

71.200 से किमी. 121.00 (आंध्र प्रदेश सीमा से रुद्रमपुर खंड)], संख्या 222 [नया एनएच संख्या 61] (महाराष्ट्र बॉर्डर से जगत्याल) (नया एनएच-44)] {[किमी. 615.00 से किमी. 668.60 को छोड़कर] महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा कल्याण-निर्मल खंड), नया एनएच संख्या 167 [किमी. 182.120 से 283.00 {तेलंगाना/कर्नाटक सीमा (हगरी)- महबूबनगर- जडचेरला खंड को छोड़कर }], नया एनएच संख्या 353सी, नया एनएच संख्या 565 [एपी सीमा-नालगोंडा- नकरेकल (नया एनएच-65) से], नया एनएच संख्या 365 [(किमी 72.60 से किमी 121.00 (तन्नामचेरला-जमांडलपल्ली खंड) और किमी 154.00 से 187.00 (मंगलवारपेट- मल्लामपल्ली खंड) को छोड़कर], नया एनएच संख्या 150 (कर्नाटक सीमा के भीतर दोनों ओर), नया एनएच संख्या 161बी, नया एनएच संख्या 353बी, नया एनएच संख्या 363 [(किमी 0.000 से किमी 94.602 (मंचरियाल से तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा खंड) को छोड़कर]], नया एनएच तेलंगाना राज्य के भीतर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365ए [0.00 किमी से 35.40 किमी (कोडाड-खम्मम खंड) को छोड़कर], नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365बी, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161बीबी, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765डी, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167एन, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930पी और नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765डीजी के उतने जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा. सं. एनएच- -14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.- 4391 (अ), तारीख 06 अगस्त, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4488(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 & 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"1	So much of National Highways No. 5(new NH No. 16) [from Km. 0.000 to Km. 3.400 (Vijaywada-Vishakhapatnam section and Kovvuru Rajahmundry Section (14.939 Km)], No. 9 (new NH 65 from Km. 266.400 to Km. 270.340 [Hyderabad-Vijaywada Section, No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No. 43 (New NH No.26 from Orissa Border to Natavalsa), New NH-67 {excluding from Km 589.00 to Km 741.950} (Mydukur-Dornala T	State Government of Andhra Pradesh"

	Junction-Atmakur Nellore Section) and (Venkatachalam to Krishnapatnam Port section)}, new NH No.42 (from Karnataka/AP border to Ananthapuramu), No. 205 (New NH No.42 from Annantapur- Madanapalle , New NH No. 71 [excluding from Madanapalle to Pileru Kalur Section (74.00 Km)], No.214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No.214A (New NH No.216 from Digamarru to Ongole), No.219 (New NH No.42 from Madanapalli to Tamil Nadu Border), No.221 (New NH No. 30) {excluding from Km. 0.000 to Km. 71.200 [(Ibrahimpattam -Chandragudem - AP/Teleangana border Section)], No.234 (New NH No.75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No.167 (from Karnataka/AP border to AP/Karnataka border), new NH No.167A, new NH-167AD, new NH-167AG, new NH No.167B, new NH No. 167K, new NH No.167BG, new NH No. 326 (from Odisha border to Chinturu), new NH No. 326A {from Odisha border to Narasannapet (on new NH No. 16)}, New NH No.340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], new NH No. 340C (excluding from Km 0.000 to Km 66.115 (Kurnool to Atmakur Section), new NH- 340B, new NH No. 342, new NH No. 365BB , new NH 516B, new NH 516D, new NH 516E, new NH No. 544D [excluding from Anantapur - Muchukota - Tadipatri - Bugga Section (74.45 Km)] and from Km 212.983 to km 322.800 (Giddanur- Vinukonda Section)}, new NH-440, new NH No. 544DD, new NH No. 544E, New NH No.565 {excluding from Km 86.057 to Km 133.922 and from km 154.900 to Km 361.327 (Nagarjunasagar- Dam-Davulapally- Markapuram- Vaggampalle- Dornala T Junction Section)} and excluding from Km 425.400 to Km 509. 400 (Penchalakona-Yerpedu Section)}, new NH 716 [excluding from Kadapa to Renigunta Section (121.935 Km)], new NH No.716A, new NH-716G, New NH No.216E and New NH No. 216H as are situated within the State of Andhra Pradesh.	
“34	So much of National Highways No. 7 [from Km. 9.4 to Km. 22.300 (Hyderabad- Bangaluru section), No. 9 [New NH 65 excluding from Km. 40.000 to AP Border and from km. 423.800 to km 493.000 (Karnataka Border – Sangareddy section), No. 16 (new NH No.63) [excluding Km. 28.00 to Km. 168.00 (Armoor- Mancherla section)], new NH No. 163 [excluding from Km. 18.600 to Km 150.00 (Hyderabad- Yadgiri- Warangal section) and Km. 14.00 to Km. 59.50 (Hyderabad- Manneguda section)], new NH No. 167K, No.221 [(New NH No.30) [excluding from Km. 71.200 to Km. 121.00 (AP Border to Rudrampur Section)], No.222 [New NH No.61] (Maharashtra Border to Jagityal) (New NH-44)] {[excluding from Km. 615.00 to Km. 668.60] Mah/AP border Kalyan-Nirmal Section), New NH No.167 [excluding Km. 182.120 to 283.00 {Telangana/ Karnataka border (Haggari)- Mahabubnagar- Jadcherla section}], New NH No. 353C, New NH No.565 [from AP Border-Nalgonda- Nakrekal (New NH-65)], New NH No.365 [(excluding from Km. 72.60 to Km 121.00 (Tannamcherla-Jamandlapally section) and from Km. 154.00 to 187.00 (Mangalwarpet- Mallampalli Section)] , New NH No.150 (within Karnataka Border on either side), New NH No. 161B, New NH No.353B, New NH No.363[{excluding from km. 0.000 to Km. 94.602 (Mancherla to Telangana/Maharashtra border Section)}], New NH No.365A [excluding from Km. 0.00 to Km. 35.40 (Kodad- Khammam section)], new NH No. 365B, New NH No. 161BB, new NH No. 765D, New NH No.167N, New NH No.930P and New NH No.765DG as are situated within the State of Telangana.	State Government of Telangana”

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4391(E), dated the 06th August, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4489(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-765	तेलंगाना राज्य में हैदराबाद (एनएच-44 और 40 का जंक्शन) से प्रारंभ होकर मैसराम, अमंगल, वेलदंडा, कल्वकुर्ती, अचमपेट तथा आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम, दोरानाला को जोड़ते हुए टोकपल्ली के निकट एनएच-565 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ने वाला पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

[फा. सं. एनएच- -14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4489(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-765	The highway starting from Hyderabad (Junction of NH-44 & 40), connecting Maisaram, Amangal, Veldanda, Kalvakurti, Achampet, in the state of Telangana Srisailam, Doranala and terminating at its junction with NH-565 near Tokapalle in the state of Andhra Pradesh.	Entire NH falling in the State of Telangana and Andhra Pradesh

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4490(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2573(अ), दिनांकित 11 अगस्त, 2017, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

765 (नया)	(हैदराबाद से डिंडी खंड) (तेलंगाना राज्य में)	किमी 23.00 से किमी 108.800
-----------	---	----------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/6/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 2573(अ), दिनांकित 11 अगस्त, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4490(E) .— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2573(E), dated the 11th August, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

765 (New)	(Hyderabad to Dindi Section) (In the State of Telangana)	Km 23.00 to Km 108.800
-----------	---	------------------------

[F. No. NH-14013/6/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 2573(E), dated the 11th August, 2017.